

**VIDHAN SABHA QUESTION**  
**IMMEDIATE/OUT TODAY**

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS**  
**K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**  
**(POLICY BRANCH)**

No. F.2(3)DLA/MS/P&C/F&S/2017/524

Dated: 8/8/2017

To

The Dy. Secretary (Question Branch)  
Delhi Legislative Assembly  
Old Secretariat, Delhi-54

Sub: Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 34 asked by  
Ms. Bandana Kumari, MLA due for answer on 09.08.2017.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

Encl: As above

  
(R.K. SAXENA)  
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

No. F.2(3)/DLA/MS/P&C/F&S/2017

Dated:

Copy forwarded to :-


1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Unstarred question of distribution of the House.

  
(R.K. SAXENA)  
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (नीति शाखा)  
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई,पी,एस्टेट,  
नई दिल्ली - 110002

तारांकित प्रश्न संख्या :-34  
दिनोंक :-09/08/2017  
प्रश्नकर्ता का नाम :-श्रीमति बंदना कुमारी  
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या नए राशनकार्ड जारी करने और वर्तमान कार्डों में सुधार का काम विगत दो वर्षों से बंद कर दिया गया है,	जी नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वर्तमान राशन कार्डों में सुधार का काम सतत रूप से चल रहा है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों को पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है ।
(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,	'क' के अनुसार लागू नहीं है ।
(ग) यदि नहीं, तो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में इन कार्यों के न किए जाने का क्या कारण है,	शालीमार बाग विधान सभा में पिछले दो वर्षों में कुल 575 कार्ड जारी किये गये हैं तथा 11301 कार्डों में सुधार किया गया है ।
(घ) शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशनकार्ड धारकों की संख्या, और	शालीमार बाग विधानसभा में क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कार्डों की संख्या निम्न है— एएवाइ - 1180 बीपीएल- 1815 पीआर -11966
(ङ) कुछ राशनकार्ड धारकों को राशन न मिलने का कारण ?	राशन कार्ड धारकों की शिकायत मिलने पर उनका निवारण तुरन्त किया जाता है ।



K. R. MEENA, I.A.S.  
Secretary-Cum-Commissioner  
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,